# अपना स्वीट्स के अकाउंटेंट ने पत्नी और व्यापारी के साथ मिलकर की 84 लाख से ज्यादा की धोखाधड़ी

» व्यापारियों को पेमेंट नहीं मिला तो धोखाधड़ी का खुलासा हुआ
» वारदात में माल सप्लाय करने वाला व्यापारी भी शामिल

इंदौर ▶ सिटी रिपोर्टर

अपना स्वीट्स के अकाउंटेंट ने व्यापारियों को पेमेंट देने के नाम पर करीब 84 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर दी। जब व्यापरियों को पेमेंट नहीं मिला तो संचालक व फाइनेंस मैनेजर को वारदात का पता चला। उन्होंने छत्रीपुरा थाने पर मय प्रमाण मामले की शिकायत कर दी। पुलिस ने जांच के बाद अकाउंटेंट, उसकी पत्नी व व्यापारी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है।

विकास तिवारी निवासी स्पेस पार्क (सुखलिया), लोधीपुरा स्थित अपना स्वीट्स में फाइनेंस मैनेजर हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि कंपनी में विनीत अजमेरा अकाउंटेंट था। उसने अप्रैल 2018 में नौकरी की शुरुआत की थी। इस दौरान विनीत के पास पार्टी को पेमेंट, बैंकिंग व वसूली की जवाबदारी थी। वह पेमेंट करने वालों की एक्सेल शीट तैयार करता था। उक्त शीट में नाम तो व्यापरियों के रहते थे, लेकिन उनके नाम के आगे विनीत अपनी पत्नी निकिता व किराना व्यापारी नीलेश जैन का खाता नंबर व डिटेल डाल देता था। जब विनीत को पेमेंट करने की परमिशन मिलती तो वह उक्त तीनों खातों में रुपए ट्रांसफर कर लेता था। ऐसा कर करीब 84.85 लाख रुपए विनीत ने उक्त तीनों खातों में ट्रांसफर किए। व्यापारी जैन से विनीत की सेटिंग थी। वह छाबड़ा को एक नम्बर में खाते से लाखों रुपए ट्रांसफर कर देता था। छाबड़ा जीएसटी काटकर बाकी नकद रुपए विनीत को दे देता था। विनीत ने खुद के खाते में 21.59 लाख, विनीत व पत्नी निकिता के जॉइंट खाते में 31.73 लाख व नीलेश जैन के खाते में 31.52 लाख रुपए ट्रांसफर कर लिए।

## फाइनेंस मैनेजर पर किया हमला

पुलिस के अनुसार फाइनेंस मैनेजर विकास तिवारी ने विनीत की धोखाधड़ी को पकड़ लिया था। लसूड़िया क्षेत्र में कुछ दिन पहले विकास पर हमला भी हुआ। विकास ने पुलिस को बताया कि उक्त हमला विनीत ने कराया था, जिसमें में उन्हें चोट लगी थी। अब मामले की जांच छत्रीपुरा थाने के एसआई एमएल चौहान कर रहे हैं। श्री चौहान का कहना है कि वे नीलेश जैन के खाते व जीएसटी की धोखाधड़ी की जानकारी जीएसटी डिपार्टमेंट को देकर उसका नम्बर भी कैंसल कराएंगे।

# डकैती में शामिल टांडा के दो बदमाश गिरफ्तार

इंदौर ▶ सिटी रिपोर्टर

शहर के पश्चिम इलाके की डकैतियों में शामिल दो बदमाशों को इंदौर से गई टीम ने टांडा से पकड़ा है। आरोपियों को एरोड्रम इलाके में रखा गया है। उन पर इनाम की घोषणा की गई थी।

अन्नपूर्णा सीएसपी बीपीएस परिहार, एरोड्रम और राजेन्द्र नगर थाना टीआई ने मिलकर टीम बनाने के बाद बाग-टांडा इलाके में दबिश दी थी। यहां रात में पुलिस ने डकैती कर फरार हुए जगदीश और उसके एक साथी को पकड़ा है। आरोपियों ने कुछ माल और चोरी के वाहनों की जानकारी दी है। इस मामले में उनसे पूछताछ की जा रही है।

## कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत, चालक पर केस

**इंदौर।** विजय नगर में कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। पुलिस ने कार सवार के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक न्यू खातीपुरा में रहने वाला अनिकेश आइक से गुरुदेव कॉम्प्लेक्स के पास से जा रहा था, तभी उसे तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। उसे अस्पताल पहुंचाया गया। मंगलवार को उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम किया है।

# आईएएस वर्मा का तीन दिन का रिमांड और मिला, एडीपीओ से भी पूछताछ

इंदौर ▶ सिटी रिपोर्टर

एमजी रोड पुलिस ने फर्जी दस्तावेज बनाकर प्रमोशन लेने के मामले में आईएएस संतोष वर्मा को पकड़ा था। इस मामले में उसका दो दिन दिन रिमांड लिया था। बुधवार को फिर कोर्ट में पेशी हुई, जिसमें तीन दिन का रिमांड और लिया गया है।

पुलिस के मुताबिक आईएएस वर्मा का पहला रिमांड खत्म होने पर बुधवार को उसे कोर्ट में पेश कर तीन दिन का और रिमांड मांगा। पुलिस ने हस्ताक्षर के नमूने और अन्य मामले में पूछताछ के लिए समय मांगा। अधिकारियों के मुताबिक अभी मामले में अन्य लोगों के बयान होना है। पुलिस ने एडीपीओ से, वर्मा से जब्त दस्तावेजों को लेकर पूछताछ की। उन्होंने अपना मत रखा। एडीपीओ ने पहले पुलिस को वर्मा के खिलाफ अपना अभिमत देने से रोका था।

# चाय की दुकान पर कब्जे को लेकर विवाद में गार्ड ने चलाई थी गोली

अशोक पाटिल | दीपक पाटिल | संदीप सोलंकी

इंदौर ▶ सिटी रिपोर्टर

सयोंगितगंज इलाके में मंगलवार शाम गार्ड द्वारा चलाई गई गोली से तीन लोग घायल हुए थे। पूरी घटना चाय की दुकान हथियाने के लिए हुई थी। इसे लेकर घायलों का गार्ड से विवाद चल रहा था।

मामला रेसीडेंसी कोठी के पास स्थित फेडरल बैंक के गार्ड राजभान का है। मंगलवार को उसके द्वारा गोली चलाने के मामले में बैंक के कर्मचारी संदीप सोलंकी, अशोक पाटिल और दीपक घायल हुए थे। मामले की जांच में बैंक के बाहर स्थित भरत की चाय की दुकान की बात सामने आई है, जिसमें गार्ड का आना-जाना था। फिलहाल गोली हमले से बचने के लिए गार्ड द्वारा चलाने की बात सामने आ रही है, जिसमें सीएसपी तिवारी ने बुधवार को सभी से पूछताछ की।

# फर्जी फेसबुक आईडी बनाने वाला गिरफ्तार

इंदौर ▶ सिटी रिपोर्टर

फर्जी फेसबुक प्रोफाइल बनाकर पीड़िता के फोटो के साथ अश्लील फोटो लगाकर फर्जी फेसबुक प्रोफाइल पर पोस्ट करने वाले को पुलिस ने पकड़ा है। एकतरफा प्यार को लेकर उसने यह कदम उठाया है।

राज्य सायबर सेल एसपी जितेन्द्र सिंह ने बताया कि फेसबुक आईडी से फोटो चुराकर फर्जी फेसबुक प्रोफाइल में पीड़िता के फोटो के साथ अश्लील फोटो फेसबुक आईडी पर अपलोड करने के संबंध में शिकायत मिली थी। जिसमें खुबचंद पिता रामबनस निवासी 26, मेन रोड, मानागांव, थाना बागरतवा जिला होशंगाबाद को पकड़ा है।

## जेवर ले गए चोर

**इंदौर।** शहर में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। एरोड्रम व लसूड़िया थाना क्षेत्रों में फिर चोरी हुई है। एरोड्रम पुलिस के मुताबिक नगीन नगर निवासी भवानीराम पगारे ने मंगलवार को केस दर्ज कराया कि वह बाहर गए थे। वह वापस लौटे तो दरवाजे पर लगा ताला टूटा और अंदर रखा सामान बिखरा था। चोर अलमारी में रखे सोने-चांदी के जेवर व नकदी सहित करीब ढेढ़ लाख का माल ले गए। दूसरी वारदात लसूड़िया थाना क्षेत्र के सिंगापुर ब्रिटिश पार्क में रहने वाले राजेंद्र कुमावत के घर हुई। उन्होंने पुलिस को बताया कि चोर उनके घर का ताला तोड़कर लैपटॉप, सोने के जेवर व अन्य सामान ले गए। दोनो वारदातों में पुलिस ने केस दर्ज किया है।

# वसूली के लिए बदमाशों ने घर में घुसकर की तोड़फोड़ तीन वाहन भी फोड़े

इंदौर ▶ सिटी रिपोर्टर

द्वारकापुरी में वसूली के लिए एक युवक के घर में घुसकर बदमाशों ने तोड़फोड़ कर दी। इस दौरान युवक की कार व अन्य दो वाहन भी फोड़ दिए। लसूड़िया में भी वसूली के लिए एक दंपति से मारपीट हुई है।

द्वारकापुरी पुलिस के मुताबिक दीपक यादव निवासी द्वारकापुरी ने मंगलवार को बताया कि वह अपने घर के बाहर टहल रहा था, तभी मोहल्ले का गौरव शर्मा साथी अंशुल यादव के साथ आया और शराब पीने के लिए रुपए मांगे। मैंने बोला कि मेरे पास रुपए नहीं हैं। इस पर दोनों ने मारपीट की। उन्होंने पास ही खड़ी मेरी कार, पड़ोसी मनोज सोनी का ऑटो रिक्शा व पड़ोसी की कार पर पत्थर मारकर कांच फोड़ दिया। उसके बाद आरोपियों ने घर में घुसकर एलसीडी व डायनिंग टेबल तोड़ दी। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

# दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास

इंदौर ▶ सिटी रिपोर्टर

नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा कोर्ट ने सुनाई है। उपसंचालक अभियोजन बीजी शर्मा ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) इंदौर के न्यायालय में थाना बाणगंगा के एक मामले में धारा 376-2(आई), 506 भाग 2 भादवि एवं धारा 3/4 पॉक्सो अधिनियम में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी गोपाल पिता नाथूलाल निवासी भगतसिंह नगर इंदौर को धारा 376-2(आई), भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया एवं धारा 506 भाग 2 भादवि में 5 साल का सश्रम कारावास व 2000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

अर्थदंड की राशि अदा न किए जाने पर 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास का भी आदेश किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी सुशीला राठौर विशेष लोक अभियोजक द्वारा की गई। घटना 11 अप्रैल 2015 से करीब 15 दिन पूर्व पीड़िता की मां उसके बड़े पापा के लड़के की शादी का कार्ड बांटने के लिए बागली गए थे। उस दिन पीड़िता एवं उसकी छोटी बहन घर थीं और पीड़िता के पापा काम पर गए हुए थे। अभियुक्त गोपाल जिसे वह भाई बोलती थी, घटना वाले दिन अभियुक्त भी घर पर अकेला था। अभियुक्त ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया, जब पीड़िता ने उक्त बात माता-पिता को बताने को कहा तो अभियुक्त ने उसके माता-पिता एवं बहन को जान से मारने की धमकी दी। जिससे वह डर गई और उक्त बात किसी को नहीं बताई, फिर बाद में हिम्मत कर उक्त बात माता-पिता को बताई और रिपोर्ट करने थाने आई, जिस पर से बाना बाणगंगा में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया था।

# सो रही आठ साल की बच्ची को उठाया कुछ देर में पकड़ाया मैजिक चालक

इंदौर ▶ सिटी रिपोर्टर

विजय नगर इलाके में एक मैजिक चालक ने गलत काम करने के लिए आठ साल की बच्ची का अपहरण कर लिया। सूचना मिलने पर कुछ ही घंटे में पुलिस ने आरोपी को पकड़कर सकुशल बच्ची को बरामद कर लिया। आरोपी से पूछताछ की जा रही है।

संतोष

टीआई तहजीब काजी के मुताबिक मंगलवार रात करीब ढाई बजे अपोलो बिल्डिंग के पीछे मजूदरी करने वाले परिवार की मासूम बच्ची को संतोष नामक मैजिक चालक मुंह दबाकर उठा ले गया था। इस दौरान बच्ची के परिजन ने आरोपी को देखकर तत्काल पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने ताबड़तोड़ घेराबंदी की और आरोपी को पकड़ लिया। बताया जाता है कि आरोपी गांधी नगर इलाके का है। उसके घर के पास कुछ दिन पहले बच्ची रहती थी। पुलिस मामले में जांच कर रही है।

## आईजी से मिली आबकारी अधिकारी की पत्नी

**इंदौर।** आलीराजपुर के जिला आबकारी अधिकारी की पत्नी और रिटायर्ड डीएसपी की बहू की शिकायत के बाद भी गिरफ्तारी नहीं होने के मामले में आईजी से मिलने पहुंची थी। आईजी हरिनारायणचारी मिश्र के पास फरहत नाजनीन पहुंची। उसने पति विनय रंगशाही, ससुर अशोक रंगशाही के खिलाफ भंवरकुआं थाने में केस दर्ज कराने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं होने की बात कही। साथ ही पति विनय पर दूसरी शादी का आरोप लगाया।

# युवक की आत्महत्या में प्रताड़ित करने वाले पर केस दर्ज

## मृत युवक के परिजन ने एसपी सहित अन्य अफसरों को की थी शिकायत

इंदौर ▶ सिटी रिपोर्टर

युवक की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने उसे प्रताड़ित करने वाले युवक के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है। मृत युवक ने एक ऑडियो बनाया था, जिसमें उसने प्रताड़ना की बात कही थी।

द्वारकापुरी पुलिस के मुताबिक दीपक भदौरिया (23) निवासी साईंबाबा नगर ने पिछले दिनों फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। दीपक के परिजन ने मामले की जांच के लिए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत की थी। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि मृतक दीपक भदौरिया ने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग की है, जो उसकी मां को संबोधित कर रहा है। इसमे एक लड़की से प्रेम करने की बात कह रहा है तथा लड़की के नए दोस्त रोहित यादव द्वारा उसे परेशान करने की बात कह रहा है। उक्त रिकॉर्डिंग व परिजन के बयान के आधार पर पुलिस ने रोहित के खिलाफ केस दर्ज किया है।

## दहेज में मांगे 20 लाख रुपए

**इंदौर।** दहेज मांगने के मामले पुलिस ने महिला के उसके ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज किया है। महिला थाना पुलिस के मुताबिक जया तिलवे ने बताया कि उसकी शादी डॉ. वीरेंद्र तिलवे के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद वीरेंद्र, इंदिरा व सावित्री ने उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। वीरेंद्र के परिवार के लोग पुलिस विभाग में पदस्थ है। जया के परिजन ने शादी के समय हैसियत अनुसार दहेज दिया था। जया का आरोप है कि वीरेंद्र व परिजन उससे 20 लाख रुपए दहेज मांगकर प्रताड़ित करते है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

## कारोबारी की नाबालिग लड़की खरगोन में मिली

**इंदौर।** एमआईजी इलाके से गायब हुई एक कारोबारी की नाबालिग लड़की खरगोन में मिल गई। पुलिस की टीम उसे लेकर आ गई। पुलिस के मुताबिक कालिंदी पार्क के पास से 14 साल की लड़की का एक अन्य नाबालिग लड़का अपहरण कर ले गया था। सीसीटीवी कैमरों से जानकारी लगने के बाद पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला। लड़की के बयान के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।

## बुजुर्ग ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

**इंदौर।** एमआईजी इलाके में रहने वाले एक बुजुर्ग ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह कुछ समय से तनाव में थे। पुलिस के मुताबिक मृतक का नाम गोटू महाराज की चाल निवासी सुरेश पिता बाबू सिंह है। वह पहले ट्रक चालक थे, लेकिन एक हादसे के बाद वह काम छोड़ चुके थे और कुछ दिनों से तनाव में थे। मंगलवार को खाना खाकर कमरे में गए और फांसी लगा ली।

## पत्नी की हत्या कर आत्महत्या करने वाले पति पर प्रकरण दर्ज

**इंदौर।** पत्नी की हत्या कर आत्महत्या करने वाले पति के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। बाणगंगा पुलिस के मुताबिक नंदिनी उर्फ मुस्कान पटेल निवासी न्यू गोविंद कॉलोनी की पति जगमोहन पटेल ने 1 जुलाई को घर में हत्या कर दी थी। बाद में उसने भी फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मंगलवार को जगमोहन पटेल के खिलाफ केस दर्ज किया है।


## प्रताप स्नैक्स लिमिटेड

Yellow Diamond

सीआईएन: L15311MP2009PLC021746
पंजीकृत कार्यालय: खसरा नं 378/2, गेंदालाल रोड, मकरोद हाउस के पास, पालदा इन्दौर 452020, मध्य प्रदेश, भारत
दूरभाष: (+91 731) 243 9999
ई-मेल: complianceofficer@yellowdiamond.in वेबसाइट: www.yellowdiamond.in

**वार्षिक सामान्य बैठक, बुक क्लोजर एवं रिमोट ई-वोटिंग की जानकारी हेतु सूचना**

एतद द्वारा यह सूचना दी जाती है कि कंपनी की 12वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) गुरुवार, 5 अगस्त, 2021 को दोपहर 3:30 बजे आईएसटी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के लागू प्रावधानों और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीकरण दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अनुपालन में)) विनियम, 2015, परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 और परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांकित के साथ पठित कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 और परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर /पी/2020/79 द्वारा जारी 5 मई, 2020 सेबी द्वारा जारी दिनांक 12 मई, 2020 (सामूहिक रूप से परिपत्रों के रूप में संदर्भित), एजीएम को बुलाने वाले नोटिस में निर्धारित व्यवसाय को लेन-देन करने के लिए आयोजित की जाएगी। सदस्य वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकेंगे।

संबंधित परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 जिसमें 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तिय वर्ष के लिए स्टैंडअलोन और समेकित वित्तिय विवरण, बोर्ड की रिपोर्ट, ऑडिटर की रिपोर्ट व अन्य दस्तावेज शामिल हैं जो कि कंपनी के शेयर धारकों को उनके ईमेल में 14 जुलाई 2021 को भेज दिए गए है जिनके ई-मेल कंपनी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत है। एजीएम की नोटिस व वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 कंपनी की वेबसाइट www.yellowdiamond.in पर व स्टॉक एक्सचेंज यानि बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com व नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर उपलब्ध होगी साथ ही सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (CDSL) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध होगी।

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 91 सहपठित कम्पनियों (प्रबंधन एवं संचालन) नियम, 2014 के तहत सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर ट्रांसफर खाते शुक्रवार, दिनांक 30 जुलाई, 2021 से गुरुवार, दिनांक 05 अगस्त, 2021 (दोनों दिनांक सहित) कम्पनी की वार्षिक आम बैठक एवं लाभांश भुगतान हेतु (यदि घोषित होता है) बन्द रहेंगे।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 एवं कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के तहत, सेबी (सूचीकृता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक, कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रानिक माध्यम से वोट देने के अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करने में सक्षम है। एजीएम (रिमोट ई-वोटिंग) के स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का उपयोग करने वाले सदस्यों द्वारा वोट डालने की सुविधा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा प्रदान की जाएगी।

एजीएम की सूचना पत्र में निर्दिष्ट व्यवसायों को इलेक्ट्रानिक वोटिंग के माध्यम से निष्पादित किया जाएगा। रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित सूचना के साथ-साथ यूजर आईडी एवं पासवर्ड सहित होने वाली एजीएम की नोटिस सदस्यों को प्रेषित कर दिया गया है जिसकी ईमेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजिकृत है।

रिमोट ई-वोटिंग रविवार, दिनांक 01 अगस्त, 2021 प्रातः 9:00 बजे से प्रारंभ होगी और बुधवार, दिनांक 4 अगस्त, 2021 को सायं 5:00 बजे समाप्त हो जाएगी। उपर्युक्त दिनांक व समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। वे सदस्य जिनका नाम गुरुवार, दिनांक 29 जुलाई, 2021 (Cut-off Date) को रजिस्टर ऑफ मेम्बर्स /बेनिफिशियल आनर्स में है, उन्हें ही रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अथवा बैठक में ई वोटिंग करने की सुविधा प्रदान की जायेगी। यदि कोई व्यक्ति एजीम की सूचना पत्र के प्रेषित करने के बाद और गुरुवार, दिनांक 29 जुलाई, 2021 (Cut-off Date) को शेयर धारण करके कम्पनी का सदस्य बनता है, वह einward.ris@kfintech.com पर एक अनुरोध पत्र भेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। जो सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल दिया है वे दोबारा एजीएम के समय ई वोटिंग करने के लिए अधिकारी नहीं है।

इसके अतिरिक्त, मतदान की सुविधा ई-वोटिंग प्रणाली द्वारा कंपनी के सदस्यों के लिए एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी और जिन्होंने अपना वोट रिमोट ई-वोटिंग द्वारा नहीं डाला है।

**सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना में दिए गए सभी नोटिस और विशेष रूप से रिमोट ई-वोटिंग, तर्युअल मीटिंग में शामिल होने और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।**

यदि आपके पास सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम से एजीएम और ई-वोटिंग अथवा रिमोट ई-वोटिंग में भाग लेने के संबंध में कोई प्रश्न या संशय है, तो आप helpdesk.evotingcdslindia.com पर एक ईमेल लिख सकते हैं या 022- 23058738 और 022-23058542/43 पर संपर्क कर सकते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से जुड़ी सभी शिकायतों को श्री राकेश दल्वी, वरिष्ठ प्रबंधक, (सीडीएसएल) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरएक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एनएम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई - 400013 को सम्बोधित किया जा सकता है या helpdesk.evotingcdslindia.com पर ईमेल करें या 022-23058542/43 पर कॉल करें।

कृते प्रताप स्नैक्स लिमिटेड
(हस्ताक्षर)
ओम प्रकाश पाण्डे
कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

स्थान: इन्दौर
दिनांक: 14, जुलाई 2021


# समितियों में शामिल होने के लिए शुरू हुई दौड़

## भाजपा संगठन मैदान खाली रखने की तैयारी कर रहा

इंदौर ▶ सिटी रिपोर्टर

भाजपा संगठन निगम और पंचायत चुनाव से पहले भाजपा अधिकृत प्रत्याशियों के लिए मैदान खाली रखने की तैयारी कर रहा है। संगठन की मंशा है कि निगम-पंचायत चुनाव के माध्यम से 2023 के लिए जमीन भी मजबूत हो जाए और कार्यकर्ता भी उपकृत हो जाएं। यही कारण है कि निगम-मंडल, प्राधिकरणों और बोर्ड में नियुक्तियों को लेकर प्रभारी मंत्रियों ने सूची तैयार कर ली।

जानकारों के मुताबिक करीब एक दशक बाद सरकारी विभागों में हो रही नियुक्ति में ऐसे नेताओं को प्राथमिकता दी जाएगी, जो पार्षद टिकट की दौड़ में शामिल हैं। इसके अलावा जमीनी कार्यकर्ताओं को भी पूरा सम्मान देने का भी ध्यान देने को लेकर संगठन ने निर्देश जारी कर दिए हैं। उधर, नेता और कार्यकर्ता भी मौके को भुनाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहते हैं। यही कारण है कि नगर और प्रदेश पदाधिकारी से लेकर सांसद, हारे-जीते विधायक सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं के घर व भाजपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटना शुरू हो गई है। पिछले दिनों इंदौर आए प्रभारी मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने जिन सरकारी विभागों में समितियों का गठन होना है, उसकी सूची सौंपी थी। इसके चलते सरकारी विभागों में अशासकीय सदस्यों का नामांकन किया जाएगा।

## इन विभागों में करेंगे उपकृत

एक अनुमान के मुताबिक करीब 500 कार्यकर्ता समितियों व बोर्ड में उपकृत होंगे। लोक स्वास्थ्य, नगरीय विकास, उच्च शिक्षा, ऊर्जा विभाग, जिसमें जिला स्तरीय विद्युत सलाहकार समिति और वितरण केन्द्र स्तर पर गलत देयकों यानी बिजली बिलों के निराकरण के लिए समिति, इसमें जिला व्यापार उद्योग केन्द्र, जनजाति कार्य विभाग, खाद्य, योजना, सांख्यिकी विभाग, जिला पुलिस शिकायत का गठन होगा। इसके अलावा लोक सेवा प्रबंधन विभाग, किसान कल्याण, अनुसूचित जाति कल्याण, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन, खेल एवं युवक कल्याण, महिला एवं बाल विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग सहित अभी 26 विभागों मे अशासकीय सदस्यों का नामांकन किया जाएगा।

# 50 महीने बाद भी वाहनों को रजिस्टर्ड होने का इंतजार

**इंदौर।** बीएस-3 वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर करीब 50 महीने पहले अप्रैल 2017 से ही प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन इंदौर में इतने लंबे समय बाद अभी भी कई बाइक रजिस्टर्ड नहीं हो पाई। जिस समय रजिस्ट्रेशन पर प्रतिबंध लगाया जाना था, कंपनी ने उसे दो दिन पहले 30 और 31 मार्च को बड़ा डिस्काउंट देकर बाइक बेच दी। ऐसे वाहन 1 अप्रैल के बाद पंजीकृत हो सकते थे, जिनकी बीआईडी और टैक्स 31 मार्च 2017 के पहले भरा गया हो, लेकिन अब ऐसे वाहनों का पंजीकरण भी नहीं हो पाया है। इंदौर आरटीओ की दोपहिया शाखा में 40 ऐसे वाहनों की फाइलें पड़ी हैं, जिनका टैक्स 31 मार्च 2017 के पहले भरा गया है, लेकिन उनका पंजीकरण नहीं हो पा रहा है। इसमें खास बात ये है कि परिवहन अधिकारियों ने इस मामले में मुख्यालय से मांगे गए मार्गदर्शन के बाद बनी समिति ने इन वाहनों का टैक्स नियमानुसार भरा पाए जाने के बाद पंजीकृत करने की अनुशंसा की थी, लेकिन तकनीकी कारणों से ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है।